न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 457/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– धर्माराम पुत्र गोपालाराम 2– पपुराम पुत्र गोपालाराम 3– विकास पुत्र गोपालाराम 4– अनिता पुत्री गोपालाराम 5– रोशनी पुत्री गोपालाराम सभी जातियान विश्नाई निवासीगण भीयासर (जम्बसागर) तहसील फलोदी जिला जोधपुर		1– सुरताराम पुत्र सावंताराम 2– बंशीलाल पुत्र सांवताराम 3– हरमलराम पुत्र सांवताराम तीनो जातियान विश्नाई निवासीगण भीयांसर (जम्बसागर) तहसील फलोदी, जिला जोधपुर 4– तहसीलदार फलोदी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 2–5–2018 जो उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 231/2015 अनवान सूरताराम वगैरा बनाम धर्माराम वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री रोशनलाल विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री पी.आर.मेगवाल अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1, से 3 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4 की ओर से

निर्णय

दिनांक 17–6–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर उल्लेख किया कि ग्राम जम्भसागर (भीयासर) के खसरा नंबरान 1164, 1175 एवं 1176 की भूमि अधीनस्थ न्यायालय के प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 6 हरमलराम की संयुक्त खातेदारी की तथा ग्राम जम्भसागर (भीयासर) के खसरा नंबरान 1171, 1172, 1177 व 1178 की भूमि अधीनस्थ न्यायालय के प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 की संयुक्त खातेदारी की आई हुई है जिसकी जमाबंदी संवत् 2068– 2071 एवं नक्शा ट्रेस की नकल साथ मे पेश कर तहसीलदार फलोदी के आदेश दिनांक 26–6–2014 की पैमाईश रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए पत्रावली को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 मे ग्राम पंचायत मुख्यालय अटल सेवा केन्द्र भीयासर शिविर मे रखते हुए दिनांक 2–5–18 को निर्णय पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर उक्त अपील इस न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । वकील

अति॰ सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध तहसीलदार फलोदी के आदेश दिनांक 26–6–14 की पालना मे सम्पन्न फर्द पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 12–7–14 की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अपने प्रार्थना पत्र मे कुल 7 खसरान 1164, 1175 एवं 1176 तथा 1171, 1172, 1177 व 1178 की भूमि की पैमाईश एवं पत्थरगढी का निवेदन किया था जबकि पैमाईश फर्द खसरा नंबरान 1164, 1175, 1176 एवं 1241 कुल 4 खसरो के संबंध मे तैयार की गई थी तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे खसरा नंबर 1241 का कोई जिक्र नही होते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम जम्भसागर पटवार मण्डल भीयासर ने खसरा नंबरान 1164, 1175, 1176 एवं 1241 के संबंध मे पत्थरगढी बाबत प्रार्थना से अलग आदेश पारित कर दिया, जबकि प्रार्थना पत्र मे चाही गई इस्तदुआ से हटकर किसी प्रकार का आदेश पारित किया ही नही जा सकता था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अप्रार्थीगण को सुने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पा0 संख्या 1 (वर्तमान अपीलांट संख्या 1) की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थिति दी थी तथा पत्रावली मे सीलनुमा आदेशिका दिनांक 26–2–18 से दिनांक 1–5–18 मुकर्रर की, जिसमे लोक अदालत केम्प मे पत्रावली रखने का कोई आदेश या सूचना अप्रार्थीगण को नही देते हुए तथा पत्रावली को दिनांक 2–5–18 को ग्राम पंचायत भीयासर केम्प मे रखते हुए प्रार्थी की उपस्थिति दर्ज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आर.आर.डी. 2017 पेज 289 की निर्णय नजीर का उद्धरण प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को विधिसम्मत कार्यवाही हेतु रिमाण्ड करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 गण बार–बार उपस्थित नही आने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

रिबेटल बहस मे अपीलांट अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे वर्तमान अपीलांट धर्माराम की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये थे रेस्पो0 संख्या 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए है इसलिए रेस्पो0 का कथन सही नही है ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओ तथा उसमे उपलब्ध दस्तावेजात तथा अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली रेगुलर कोर्ट मे आदेशिका दिनांक 26–2–18 तक चलती रही, जिसमे आगामी पेशी दिनांक 1–5–2018

अति० सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

मुकर्रर की गई तथा पत्रावली को राजस्व लोक अदालत केम्प मे दिनांक 2–5–2018 को रखने बाबत कोई आदेशिका ड्रॉ नही की हुई है और न ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे पत्रावली को केम्प मे रखने बाबत कोई नोटिस या सूचना ही उपलब्ध है ।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपीलांट सख्या 1 की ओर से अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी जा रही थी परंतु उन्हे बिना सुचित किये पत्रावली को केम्प मे ले जाकर वर्तमान रेस्पो0 (प्रार्थीगण) की उपस्थिति दर्ज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना प्रकट है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से समर्थन योग्य नही माना जा सकता है । इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अपीलाधीन भूमि के संबंध मे पत्थरगढी करवाने बाबत जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का पेश किया था उसमे जिन खसरान की भूमि की पत्थरगढी करवाने की इस्तदुआ की गई थी, अधीनस्थ न्यायालय ने उससे हटकर अतिरिक्त खसरा नंबर 1241 के संबंध मे भी आदेश पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही माना जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही बिना पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिये की जाना प्रतीत होती है ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 2–5–18 समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 2–5–18 निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 111, 128 के प्रार्थना पत्र मे वर्णित सभी खसरान के खातेदारान पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपीलाधीन भूमि के संबंध मे पत्थरगढी बाबत पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 17–6–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर